| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**धर्मपाल बनाम सूरजभान**

**अपील संख्या (जीसीएमएरा नम्बरा 2009/00003)**

04.04.24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित उन्होने रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4 के प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पेश करने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने हेतु अवसर चाहा। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि प्रकरण वर्ष 2009 से विचाराधीन है तथा दिनांक 02.08.2018 को तामील कुलिन्दा की रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4 की मृत्यु होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4 के प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पेश करने के आदेश दिये गये थे किन्तु अपीलान्ट की ओर से इतने वर्ष बितने के पश्चात् भी कायम मुकामान पेश नही किये गये है। बार–बार अवसर देने के पश्चात् भी उनकी ओर न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना नही की जा रही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की ओर से न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना नही करने के कारण अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की ओर से न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4 के प्रार्थना पत्र कायम मुकाम व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नही करने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त
जयपुर।